(81)

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कॉर्पोरेट आइडेन्टीफिकेशन नम्बर (सीन)–यू40109आरजे2000एसजीसी016483
पंजीकृत कार्यालय : न्यू पॉवर हाउस,जोधपुर–342003
फोन न. :0291-2742232 फैक्स न. : 0291-5106031
ईमेल :– caoar@yahoo.com / caobrju@gmail.com Web site : www.jdvvnl.com

क्रमांक एफ.1 ( )/जोविविनिलि/जो./निदेशक (वित्त)/मु.ले.अ. (ब. एवं रा.)/प्रे. 966 दिनांक 9/8/19

परिपत्र

विषय :– रूफटॉप एवं छोटे सोलर फोटोवाल्टिक ग्रिड सम्बन्धित उपभोक्ताओं की बिलिंग के सम्बंध में।

वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि रूफटॉप एवं छोटे सोलर फोटोवॉल्टिक ग्रिड सम्बन्ध वाले उपभोक्ताओं को सही बिल जारी नही हो रहे । उपभोक्ताओं को बिल सुधरवाने हेतु बार –बार उपखण्ड कार्यालय में आना पडता है एवं उपखण्ड की राजस्व शाखा मे भीं उचित रिकार्ड का संधारण नही हो पा रहा है।

अतःपूर्व में जारी परिपत्र (68) क्रमांक No FI () JdVVNL / Ju. / CAO (B&R) / S. Revenue / D 377 dt 21.06.2016 में इस संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके है इसकी निरन्तरता मे निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं।

(1) मीटर रीडर/फीडर इन्चार्ज डिस्कॉम के मीटर की रीडिंग लेते समय सोलर मीटर एवं "नेट मीटर" जनरेशन एक्सपोर्ट एवं इम्पोर्ट तीनो की रीडिंग लेकर सहायक राजस्व अधिकारी को उक्त रीडिंग उपलब्ध करवाएंगे। सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि रूफटॉप एवं छोटे सोलर फोटोवॉल्टिक ग्रिड सम्बन्धित उपभोक्ताओं के "नेट मीटर" की रीडिंग भी सामान्य मीटर की रीडिंग के साथ सहायक राजस्व अधिकारी को उपलब्ध करवा दी गई है।

(2) ऐसे उपभोक्ताओं के नेट मीटर की रीडिंग प्राप्त होने पर सहायक राजस्व अधिकारी HCL सिस्टम से बनाए गये बिल को रोककर उसके स्थान पर नेट मीटर में डिस्कॉम के ग्रिड मे डाली गयी यूनिट की नियमानुसार क्रेडिट देते हुए कम्प्यूटर से (Excell sheet द्वारा) निर्धारित प्रफोर्मा (पुनः प्रति संलग्न) में ही बिल जारी करेगें।

(3) उक्त दिए गये क्रेडिट को HCL सिस्टम के द्वारा Transaction code 79 के माध्यम से प्रविष्ट करेगे एवं उक्त क्रेडिट का संधारण उचित तरीके से इस हेतु संधारित किए गये उपभोक्ता पंजिका में रखेगें । (प्रारूप पुनः संलग्न)

क्रेडिट देते वक्त निम्नलिखित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखा जायेगा–

1. उपभोक्ता का मीटर चालू स्थिति (ok status) में होना चाहिए अन्यथा किसी प्रकार की export unit की क्रेडिट नहीं दी जाये। (circular 68 dt. 21-06-2016 point no 1-k)
2. प्रतिकिलो वाट (KW) सोलर क्षमता हेतु 4.8 यूनिट प्रतिदिन से अधिक की क्रेडिट न दी जाये (commercial order 912 dtl 15-07-2019 para no. 2 Amendment)
3. घरेलु श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी में उपभोक्ता के द्वारा कुल उपभोग (बिल अवधि में) से अधिक विद्युत उत्पादन डिस्कॉम के ग्रिड पर दिया है तो उस पर किसी प्रकार का क्रेडिट व भुगतान नही दिया जावें व अधिक उत्पादन यूनिट को समाप्त (lapse) समझा जावें (commercial order 912 dtl 15-07-2019 para no. 2 Amendment)
4. घरेलु श्रेणी उपभोक्ता द्वारा कुल उपभोग (बिल अवधि मे) से अधिक 100 यूनिट से कम उत्पादन डिस्कॉम के ग्रिड पर दिया है तो उस पर कोई क्रेडिट नही दी जाये परन्तु उक्त यूनिट आगामी माह के उत्पादन में जोडे जायेंगे एवं आगामी बिलों में 100 यूनिट होने पर ही समायोजित की जावे। उक्त यूनिट का क्रेडिट की दर 3.14 रूपये प्रति यूनिट होगीं।
5. विधुत कर एवं अन्य सेस की गणना कुल Import units पर की जाएगी।

सहायक राजस्व अधिकारी इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी आदेशो व निर्देशो की पालना सुनिश्चित करेगे तथा सम्पूर्ण रिकार्ड का संधारण अपनी निगरानी मे करेगें।

संलग्न –उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षर) 9/8
मुख्य लेखा नियंत्रक
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. श्रीमान संभागीय मुख्य अभियंता (जो.सं./बी.सं./बा.सं.) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर /बीकानेर /बाडमेर ।
2. श्रीमान वरिष्ट लेखाधिकारी (जो.सं./बी.सं./बा.सं.) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर /बीकानेर/बाडमेर ।
3. श्रीमान लेखाधिकारी (न.वृ./जि.वृत/प.व.स.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर जोधपुर /बीकानेर/बाडमेर । उक्त परिपत्र की प्रति राजस्व अधिकारियों को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. श्रीमान प्रावैधिक सहायक (प्रबंध निदेशक), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
5. श्रीमान प्रावैधिक सहायक निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
6. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

(हस्ताक्षर) 9/8
मुख्य लेखा नियंत्रक
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

J L Meena

JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
Corporate Identity Number (CIN) U40109RJ2000SGC016483
Regd. Office : New Power House, Jodhpur - 342 003
Phone No : 0291-2742227 ; E-mail: seracomml@gmail.com
web site: http://energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl

No.JdVVNL/MD/CE(HQ)/SE(RA&C)/JG/2019-20/D. 643 Dt. 15.07.19

ORDER

Sub.: Amendment in detailed Guidelines & procedure for Net Metering and Grid connectivity of Grid Connected Rooftop & Small Solar photovoltaic Systems.

Ref.: RERC (Connectivity and Net Metering for Rooftop and Small Solar Grid Interactive Systems) (First Amendment) Regulations, 2019.

The Detailed guidelines & procedure for Net Metering and Grid Connectivity of Grid Connected Rooftop & Small Solar Photovoltaic Systems have been issued vide Comml.JDP/682. The RERC has issued the RERC (Connectivity and Net Metering for Rooftop and Small Solar Grid Interactive Systems)(First Amendment) Regulations, 2019.

Accordingly Clause G sub-clause 4 & 5 of Comml.JDP/682 dtd.17.04.2015 has been amended as follows:

(4) For each billing period, the Jodhpur Discom shall show separately the quantum of electricity injected by Eligible Consumer during the billing period, electricity supplied by Jodhpur Discom during the billing period, net electricity billed for payment by the consumer for that billing period and the Solar energy generated by the eligible consumer.

Provided that in the event the electricity injected by a domestic category consumer exceeds the electricity consumed during the billing period, such excess injected electricity above 100 units shall be paid by the Distribution Licensee at Rs. 3.14/unit where a capping of average generation of 4.8 units per KW of the approved installed capacity per day of the rooftop solar PV system shall be applicable:

Provided further that for domestic category, the net energy credits less than 100 units under Net Metering achieved in the particular billing period shall be adjusted in the next billing period till credit of 100 units is achieved:

Provided also that in case of consumers, other than domestic category, the capping of 4.8 units per KW of the approved installed capacity per day shall also be applicable and the net surplus electricity remaining available at the end of the billing period of the respective category shall lapse and no payment shall be made for the same.

Provided further that in the event the electricity supplied by the Jodhpur Discom during any billing period exceeds the electricity generated by the eligible consumer's Rooftop PV Solar Power Plant, the Jodhpur Discom shall raise bill for the net electricity consumption at the tariff applicable after taking into account any electricity credit balance remaining from previous billing period:

Provided also in case the Eligible Consumer is under the ambit of time of day tariff, as determined by the Commission from time to time, the electricity consumption in any time block (e.g. peak hours, off-peak hours etc.) shall be first compensated with the electricity generation in the same time block. Any accumulated excess generation over consumption in any other time block in a billing cycle shall be accounted as if the excess generation occurred during the off-peak time block:

Provided also that the excess electricity measured in kilowatt hour may only be utilized to offset the consumption measured in kilowatt hour and may not be utilized to compensate any other fee and charges imposed by the Jodhpur Discom as per the orders of the Commission:

Provided also that the levy and duties imposed by the State Government shall be recoverable.

(5) When an eligible consumer leaves the system that consumer's unused credits for excess energy generated shall lapse and no payments shall be made.

All concerns are directed to strict compliance of above directions.

By Order,

(M.R.MEENA)

ADDL.CHIEF ENGINEER (HQ)
JODHPUR DISCOM, JODHPUR